17-10-19 वादी एवं वादी के अधिवक्ता को बार-बार
कॉल-कॉल कर आवाज दिलवायी गई
परन्तु अदालत में कोई भी उपस्थित नहीं
हुआ है। अतः वादी का वाद अग्रग्रहण
कि अग्रिम तारीख में खारिज किया जाता है
प्रकरण की नियमानुसार कार्यवाही
करने हेतु बाद तामील पश्चात लेख
प्रस्तुत हो।

उप खण्ड अधिकारी
दौसा (राज.)

Scanned by CamScanner